अतिआवश्यक/तत्काल निर्गत/समयबद्धता

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

डीजी परिपत्र संख्या- 09/2015 दिनांकः फरवरी 06, 2015

सेवा में,

1. **समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (नाम से) जनपदीय प्रभारी, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवेज, उ0प्र0 (नाम से)**

विषयः पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार एवं उसके गुरूत्तर दायित्व के निर्वहन के संबंध में।

जैसा कि आप अवगत है कि पुलिस के कंधों पर अपराध नियंत्रण, अन्वेषण तथा समाज में कानूनव्यवस्था एवं शांति व्यवस्था स्थापित रखने का गुरूत्तर दायित्व रहता है। प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द तथा विभिन्न समुदाय के मध्य में समरसता बनाये रखना पुलिस की एक अहम जिम्मेदारी होती है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए फील्ड में तैनात प्रत्येक अधिकारी को अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा एवं मनोयोग के साथ सम्पादित करना होगा। पुलिस विभाग शासन का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं दिखायी पड़ने वाला अंग है, इसलिए पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी भी सर्वाधिक होती है।

2. अतः पुलिस की कार्यप्रणाली का जनता, मीडिया एवं अन्य सामाजिक संस्थायें लगातार समीक्षा करती रहती है तथा छोटी से छोटी त्रुटियों पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जनता के लिए ACCESSIBILITY (उपलब्धता), जनता में CREDIBILITY (विश्वसनीयता), जनता की समस्याओं के प्रति SENSITIVITY (संवेदनशीलता) एवं पुलिस तंत्र की MOBILITY (गतिशीलता) बनाये रखने की परम आवश्यकता है।

3. अतः आप लोगों को निम्नलिखित निर्देश उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिये जा रहे हैं :-

1. ACCESSIBILITY (उपलब्धता) :

1- प्रत्येक पुलिस अधिकारी को (थाना प्रभारी से लेकर पुलिस महानिरीक्षक स्तर तक के अधिकारी को) प्रत्येक कार्यदिवस में अपने कार्यालय में प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक तथा उसके उपरान्त भी जनता के लिए उनकी समस्याओं को सुनने के आशय से सदैव उपस्थित रहना होगा एवं जनता की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर उसपर यथावश्यकता पूरी तत्परता से कार्यवाही कराने की आवश्यकता है।

2- शासन द्वारा प्रदत्त सरकारी मोबाइल फोन (सी0यू0जी0) पर हमेशा उपलब्धता होनी चाहिए तथा जनता द्वारा दी जा रही सूचनाओं पर पूरी तत्परता के साथ कार्यवाही की जानी चाहिए। इस संबंध में मेरे द्वारा स्वयं आकस्मिक रूप से अधिकारियों के सीयूजी फोन पर कॉल करके चेक किया जाएगा। दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

2- CREDIBILITY (विश्वसनीयता) :

एक सफल पुलिस अधिकारी के लिए यह परम आवश्यक है कि जनता के मध्य उसकी CREDIBILITY (विश्वसनीयता) प्रमाणित होनी चाहिए। ऐसे पुलिस अधिकारियों को क्राइसिस सिचुवेशन में जनता का भरपूर सहयोग मिलता है तथा स्थिति को नियंत्रित करने में यह सहायक होता है। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1- प्रत्येक फील्ड स्तर के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पारदर्शी होनी चाहिए तथा जनता में यह विश्वास होना चाहिए कि यह अधिकारी बिना किसी भेदभाव तथा पूर्ण निष्पक्षता के साथ कार्यवाही करेगा।

2- जन शिकायत (Public Grievance) पर तत्परता से कार्यवाही एवं समयबद्ध निस्तारण से पुलिस की विश्वसनीयता बढ़ती है। अतः जनता के द्वारा दिये जाने वाले आवेदन पत्रों का गुणात्मक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

3- मा0उच्चतम न्यायालय **(ललिता कुमारी बनाम राज्य नवम्बर 2013)** द्वारा यह निर्णय दिये गये हैं कि प्रत्येक प्रार्थना-पत्र जिसमें संज्ञेय अपराध का उल्लेख हो, की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। इन निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने की शिकायत पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जाएगी।

4- प्रत्येक मामलों में सही धाराओं में अपराध पंजीकृत किया जाए तथा किसी भी दशा में अपराध का अल्पीकरण (Minimization) एवं पंजीकरण न करना (Burking) क्षम्य नहीं होगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह अपने जनपदों के प्रत्येक थाने पर मुकदमें के पंजीकरण में हीला हवाली या टाल मटोल करने वाले थाना प्रभारियों को सख्त हिदायत दें तथा ऐसे प्रकरण के संज्ञान में आने पर कठोर कार्यवाही संबंधित के विरूद्व सुनिश्चित करें।

5- पुलिस अधिकारियों का निरन्तर जनता से संवाद बना रहना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान-प्रदान होता रहे। इससे पुलिस अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में हो रही समस्त गतिविधियों के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध रहती है।

6- ऐसे जनपद जो साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील हैं, वहां पर दोनों सम्प्रदाय अथवा सम्प्रदाय के विभिन्न वर्गो के महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली व्यक्तियों से सीधे सम्पर्क रखना परम आवश्यक है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सीधे संवाद स्थापित कर सकें।

7- थाना प्रभारी पुलिस कार्य प्रणाली की धुरी है तथा इस ईकाई पर तैनात होने वाले प्रत्येक अधिकारियों को अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनानी होगी, जिसके लिए उसे लगातार प्रयास करना होगा तथा क्षेत्र के लोगों से लगातार सम्पर्क में रहना होगा।

8- कतिपय प्रकरणों में यह देखा गया है कि पुलिस के द्वारा बिना सही विवेचना किये तथा बिना किसी विधिक आधार के निर्दोष व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर दी जाती है जिससे पुलिस की विश्वसनीयता में कमी आती है। इस प्रकार की कार्यवाही से हमें सदैव बचना चाहिए तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का यह दायित्व है कि यदि उनके अधीनस्थों द्वारा इस प्रकार का कोई कृत्य किया गया है तो उसमें तत्काल दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही के साथ-साथ उक्त निर्दोष व्यक्ति को भी राहत देने की कार्यवाही करनी चाहिए।

9- कतिपय जनपदों में पुलिस कर्मियों के व्यवहार के विषय में शिकायतें मिली है कि उनके द्वारा डियूटी के दौरान शराब एवं नशीले पदार्थो का सेवन कर जनता के साथ दुर्व्यवहार किया गया है अथवा सार्वजनिक रूप से ऐसे कृत्य किये गये हैं जिससे पूरे पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई है। ऐसे प्रकरण से पुलिस हंसी का पात्र बनती है एवं हमारी विश्वसनीयता में कमी आती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का यह दायित्व है कि ऐसे अनुशासनहीन कर्मियों को चिन्हित करें तथा उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि कोई पुलिस कर्मी दोबारा इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाया जाये तो उनके विरूद्ध उ0प्र0 पुलिस दण्ड एवं अपील नियमावली 1991 के अन्तर्गत दीर्घ दण्ड की कार्यवाही की जाये।

3- SENSITIVITY (संवेदनशीलता) :

एक पुलिस अधिकारी के लिए यह परम आवश्यक है कि उसे प्रत्येक कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली घटना तथा अपराधिक घटना को पूरी संवेदनशीलता से लेकर त्वरित कार्यवाही करे। यदि कोई अपराध किसी महिला, नाबालिग बच्चे तथा समाज के कमजोर वर्ग के साथ होता है तो उसपर तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ करनी चाहिए। इस उद्‌देश्य की प्राप्ति के लिए आप सभी को निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

1- गंभीर अपराध की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित सभी अधिकारियों को तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण बिना किसी विलम्ब व प्रतीक्षा किये बिना करना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों का यह दायित्व है कि वह अपने साथ-साथ अपने अधीनस्थों को भी तत्काल घटना स्थल पर जाने हेतु वायरलेस सेट के माध्यम से निर्देशित करें ।

2- कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर भी सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बिना समय नष्ट किये तत्काल मौके पर रवाना होना चाहिए तथा मौके पर पहुंचकर यथावश्यक विधिक कार्यवाही करने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए ताकि घटना विकराल रूप धारण न कर सके एवं स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

3- घटना स्थल का निरीक्षण न करने से जहां एक ओर पुलिस अधिकारियों के प्रति जनता में रोष उत्पन्न होता है, वहीं दूसरी ओर जनता में पुलिस की छवि भी धूमिल होती है। मीडिया को अनावश्यक ही पुलिस की अकर्मण्यता पर टिप्पणी करने का अवसर मिल जाता है। इस संबंध में यदि किसी अधिकारी के द्वारा घटना स्थल के निरीक्षण में विलम्ब किया जाएगा तो उसके विरूद्ध मेरे स्तर से यथोचित कार्यवाही की जाएगी तथा शासन के भी संज्ञान में लाया जाएगा।

4- MOBILITY (गतिशीलता) :

पुलिस की गतिशीलता में वृद्धि अपराध नियंत्रण में परम सहायक होती है। पुलिस की विजिबिल्टी से जहां एक ओर जनता में सुरक्षा का माहौल पैदा होता है वहीं अपराधियों में भय पैदा होता है। अतः इस संबंध में आपको निम्न निर्देश दिये जाते हैं :-

1- **प्रत्येक थाना क्षेत्र में अपराध की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों के पास पुलिस की पिकेट लगाया जाना परम आवश्यक है।**

2- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं अपने जनपद को प्रदत्त पुलिस बल का आडिट करें तथा गैर आवश्यक ड्यूटियों में लगाये गये पुलिस कर्मियों को निकालकर उन्हें विजिबिल ड्यूटीज (पिकेट,गश्त, पेट्रोलिंग आदि में) लगाया जाए।**

3- **कन्ट्रोल रूम पर प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर अतिशीघ्र कार्यवाही प्रारम्भ होनी चाहिए। विशेष रूप से किसी गंभीर वारदात को कारित कर भाग रहे अपराधियों की घेराबन्दी की कार्यवाही की सूचनायें वायरलेस सेट के माध्यम से प्रसारित की जाए तथा जनपदों के अतिरिक्त परिक्षेत्र एवं जोन स्तर पर इन सूचनाओं का त्वरित प्रेषण अपराधियों की घेराबन्दी में सहायक सिद्व होता है।**

4- छोटे से छोटे अपराध की सूचना पर त्वरित कार्यवाही कर देने से यह घटनायें विकराल रूप धारण नही कर पाती हैं तथा कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रहती है।

5- पुलिस का ज्यादातर कार्य आउटडोर प्रकृति का है जिसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर के अधिकारी एवं थानों के भारसाधक अधिकारी फील्ड में निकलकर कार्यवाही करें। अक्सर यह पाया गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर निचले स्तर तक के अधिकारियों का समय प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से न होने के कारण कार्यालय के कार्य एवं फील्ड के कार्यो में असंतुलन की स्थिति होती है। अतः यह आवश्यक है कि फील्ड स्तर के अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा समय आउटडोर एक्टिविटी में लगाया जाना चाहिए।

4. अतः आप सभी से अपेक्षा है कि उपरोक्त निर्देशों का अक्षराक्षर अनुपालन करें तथा इन निर्देशों को समस्त थाना प्रभारियों एवं समस्त राजपत्रित अधिकारियों की बैठक बुलाकर उन सभी को विधिवत ब्रीफ किया जाए ।

5. मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराकर पुलिस की कार्यप्रणाली में बेहतर सुधार लाते हुए दायित्वों का सही रूप से निर्वहन करेगें।

6.2.15

(ए0के0 जैन)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक अपराध/कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0।
3. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे लखनऊ एवं इलाहाबाद उ0प्र0।
5. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र/रेलवे, उ0प्र0।

प्रतिलिपि- मुख्यालय में नियुक्त समस्त राजपत्रित अधिकारीगण को सूचनार्थ ।